भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1911
गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2023(23 अग्रहायण, 1945 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर
*****

दिल्ली से शिमला तक विमान सेवा

1911. श्री सुरेश कश्यपः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से शिमला तक विमान सेवा केवल एक विमान कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है और उक्त उड़ान में राज-सहायता वाली कितनी सीटें कम की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली से शिमला तक उक्त उड़ान का किराया और वापसी का किराया कितना है; और

(घ) क्या सरकार का शिमला से दिल्ली तक विमान यात्रा का किराया कम करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क) से (ग): उड़ान 4.0 के तहत, एलायंस एयर द्वारा 26.09.2022 को एटीआर-42 प्रकार के विमान (46-सीटर) के साथ आरसीएस मार्ग 'दिल्ली-शिमला-दिल्ली' पर प्रचालन आरंभ किया गया था।

उड़ान योजना के प्रावधानों के अनुसार, चयनित एयरलाइन प्रचालक को आरसीएस उड़ान क्षमता का पचास प्रतिशत (50%), आरसीएस सीटों के रूप में प्रदान करना आवश्यक है। हवाईअड्डे की भौगोलिक परिस्थिति के मद्देनजर हवाई जहाज पर लगाई गई लोड की सीमा के कारण, आरसीएस सीटें घटाकर 13 कर दी गई हैं।

आरसीएस सीटों का किराया, अनुबंध के तहत निर्दिष्ट किए अनुसार, उक्त मार्ग पर निर्धारित हवाई किराया सीमा के अध्यधीन है, जबकि गैर-आरसीएस सीटों के लिए हवाई किराए की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अक्टूबर से दिसंबर 2023 की तिमाही के लिए, आरसीएस सीट पर प्रति सीट हवाई किराया सीमा, 2743/- रूपए है।

(घ): प्रचलित विनियमन के अनुसार, हवाई किराया सरकार द्वारा न तो स्थापित किया जाता है और न ही विनियमित किया जाता है।

मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के समाप्त होने के साथ, सरकार द्वारा हवाई किराया अनुमोदित किए जाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। वायुयान नियमावली, 1937 के

नियम 135 के उप नियम (1) के प्रावधान के तहत, अनुसूचित हवाई सेवाओं में प्रचालनरत प्रत्येक हवाई परिवहन उपक्रम को प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषता, युक्तियुक्त लाभ और सामान्यत: प्रचलित टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ का निर्धारण करना होता है। उपर्युक्त नियम के अनुपालन के अध्यधीन एयरलाइनें, अपनी प्रचालन व्यवहार्यताओं के अनुसार, युक्तियुक्त हवाई किराया वसूल सकती हैं।

*****